

राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

क्रमांक-सीआरओ/राआम/2020-21/230,

दिनांक : 29.12.2020

कार्यालय आदेश

राजस्थान आवासन बोर्ड के संचालक मण्डल की 244वीं बैठक के बिन्दु संख्या-41 दिनांक 22.12.2020 में ई-सबमिशन से "अपनी दुकान अपना व्यवसाय" योजना के अन्तर्गत विक्रय की जा रही सम्पत्तियों की बिडों को स्वीकृत करने हेतु संबंधित उप आवासन आयुक्त को अधिकृत करने हेतु जारी आदेश क्रमांक-सीआरओ/राआम/2020-21/190 दिनांक 10.11.2020 के अनुमोदन पश्चात् मण्डल में लागू किये जाने की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है। अस्वीकृत किये जाने वाले प्रकरण आवासन आयुक्त के अनुमोदन पश्चात् निरस्त किये जावें।



आवासन आयुक्त

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निजी सचिव-अध्यक्ष राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
2. निजी सचिव-आवासन आयुक्त/मुख्य अभियन्ता-प्रथम/द्वितीय, रा.आ.मं., जयपुर।
3. निजी सचिव-वित्तीय सलाहकार/सचिव राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
4. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता-प्रथम/तृतीय, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
5. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता-द्वितीय, राजस्थान आवासन मण्डल, जोधपुर।
6. मुख्य सम्पदा प्रबन्धक, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
7. उप आवासन आयुक्त, वृत्त _____, रा.आ.मं., _____।
8. संयुक्त एनालिस्ट (निदेशक), कम्प्यूटर प्रकोष्ठ, रा.आ.मं., जयपुर को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को मण्डल की वेबसाइट पर अपलोड व सभी को मेल करें।
9. आवासीय अभियन्ता, खण्ड _____ रा.आ.मं., _____।
10. वरिष्ठ लेखाधिकारी _____, रा.आ.मं. जयपुर।
11. सम्पदा प्रबन्धक वृत्त ~~जयपुर~~ राजस्थान आवासन मण्डल, ~~जयपुर~~।
12. लेखाधिकारी, वृत्त _____, रा.आ.मं., _____।
13. कार्यालय आदेश/रक्षित पत्रावली।



आवासन आयुक्त